से किस-किस श्रेणी के, कितने और किन-किन कर्मचारियों को प्रसारण कार्य के लिए दिल्ली बुलाया जाता है;

(ख) इस संबंध में ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या दिल्ली दूरर्शन में ऐसे कर्मचारियों के पद रिक्त पडे हुए हैं और प्रत्येक बार विशेषत:इन केन्द्रों से ही और निर्धारित कर्मचारियों को ही किस आधार पर जाता है;

(घ) क्या इन कर्मचारियों को दिल्ली स्थानांतरित करने से स्थानीय केन्द्रों के कार्यक्रम निर्माण और प्रसारण पर कोई विपरीत प्रभाव पड़ता है; और

(ङ) यदि हां, तो इसके क्या कारण है?

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्रीमती सुषमा स्वराज): (क) से (ग) संसदीय कार्यवाहियों के सीधे प्रसारन सतिरिक्त कार्यभार निपटाने के लिए स्टाफ की आवश्यकता पूरा करने हेतु पिछले दो वर्षों के दौरान समय-समय पर दूरदर्शन केन्द्र अहमदाबाद और राजकोट से एक कैमरामैन ग्रेड-1, पांच कैमरामैन ग्रेड-2 तथा टीन वरिष्ठ इंजीनियरी सहैंक एंव चार इंजीनियरी सहैंक दौरा डयूटी पर दिल्ली बुलॅ गए हैं।

(घ) और (ङ) कैमरामैन आदि की अस्थायी तैनाटी की व्यवस्था इसलिए की जाती है कि इससे संबंधित दूरदर्शन का कार्य कम के कम प्रभाबित हो

दूरदर्शन महानिदेशक द्वारा सम्पत्तियों कि खरीद के लिए मानदंड

685. **श्री चीमनभाई हरीभाई शुक्ला:** क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह वताने कि कृपा करेंगे कि:

(क) क्या दूरदर्शन महानिदेशक द्वारा प्रतिवर्ष अपने सभी दूरदर्शन केन्द्रों में कार्यक्रम निर्माण और प्रषारण के लिए सम्पत्तियों की खरीद की जाती है;

(ख) यदि हां, तो इन सम्पत्तियों की खरीद के लिए मानदंड और निर्धारित वित्तीय प्रव्धान कितना है;

(ग) क्या सभी केन्द्रों के लिए मानदंड समान है और इन सम्पत्तियों के रख-रखाव के लिए सम्पत्ति सहैंकों कॉ नियुक्त किया गया है;

(घ) विगत तीन वर्षों के दौरान राजकोट दूरदर्शन के लिए कुल कितने मुल्य की ऐसी सम्पत्तियों को खरीदा गया और क्या इन सम्पत्तियों के लिए वहां किसी सम्पत्ति सहैंक की नियुक्ति की गईथी; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण है और क्या सरकार ने इस संबेध मेम स्थिति का आकलन करने हेतु कोई अध्ययन किया है?

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्रीमती सुषमा स्वराज): (क) जी नहीं।

(ख) और (ग) सामग्रि की खरीद तथा रखखाव बजट अनुदान में से ही उनकी आवश्यकता के अनुसार संबंधित केन्द्रों द्वारा किया जाता है। कुछ केन्द्रों में सम्पत्ति सहैंक भी हैं।

(घ) दूरदर्शन केन्द्र, राजकोट ने प्रारंभ से स्वीकृत बजट अनुदान में से लगभग 10,000/- रू।. मूल्य की निर्माण सामग्री खरीदी है। दूरदर्शन केन्द्र, राजकोट में सम्पत्ति सहैंक का कोई स्वीकृत पद नहीं है। केन्द्र के एक प्रवर श्रेणी लिपिक आदि को सौंपा जाता है।

Ordinance for Prasar Bharati Corporation

686. SHRI GURUDAS DAS GUPTA:
SHRI J. CHITHARANJAN:

Will the Minister of INFORMATION AND BROADCASTING be pleased to state:

(a) whether it is a fact that the ordinance doing away with the 22 member committee of MPs to observe the functioning of Prasar Bharati Corporation was allowed to lapse by Government;

(b) if so, the reasons therefor; and

(c) whether Government propose to bring about some important amendments to the Prasar Bharati Act; if so, the details thereof?

THE MINISTER OF INFORMATION AND BROADCASTING (SMT. SUSHMA SWARAJ): (a) Yes, Sir.

(b) The Prasar Bharati (Broadcasting Corporation of India) Amendment Ordinance, 1997 had removed or modified several important provisions in the principal Act relating to (i) Parliamentary Committee to oversee the functions of the Corporation; (ii) establishment of Broadcasting Council, to